नगर पालिक निगम, इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय : 0731–2431610, 2541771 (पी.बी.एक्स) फैक्स : 0731–2434489

ई–मेल : nagarnigamindore@yahoo.comवेब साईड : www.imcindore.org

क्रमांक :–169 / एम.सी. / 2020 दिनांक :–11/06/2020

:: आदेश ::

इन्दौर शहर में नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोराना वायरस की परिस्थितियों को देखते हुए मान. प्रधानमंत्रीजी महोदय के द्वारा किए गए आव्हान के तारतम्य में पूर्ण रूप से लॉकडाउन वर्तमान में प्रचलित है इन लॉकडाउन की परिस्थितियों में आमजनों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु घरों के अंदर रहना अनिवार्य है तथा इस हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी किया गया है।

उक्त क्रम में इन्दौर शहर में निगम के प्रचलित कार्य कोविड–19 महामारी से पूर्व निगम मद से प्रचलित थे, कोविड–19 पेन्डेमिक के चलते शहरी क्षेत्रों में दिनांक 25 / 03 / 2020 से शासन द्वारा अधिरोपित कर्फ्यु एवं लॉकडाऊन के कारण शहर में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य बंद होकर मजदूर जो कि शहर से बाहर के प्रवासी मजदूर शहर को छोड़कर गृह जिला / राज्य में चले गये है तथा स्थानीय मजदूर भी बेरोजगार होकर अपने निवास स्थान पर रह रहे है।

उक्त अनुसार कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में पूर्व में प्रचलित निर्माण कार्यो को पूर्ण एवं मजदूरों को आवश्यक काम की उपलब्धता सुनिश्चित हो के दृष्टिगत पत्र क्रमांक 77 एवं 87 / पी.एस. / यू.डी.एच. / पी.ए. / 2020 भोपाल, दिनांक 21 / 04 / 2020 से दिशा–निर्देश जारी किये गए है। आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुवे स्वीकृत कार्य के क्रियान्वयन की कार्यवाही निकाय के वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार कार्य स्थल पर निवासरत एवं कार्य स्थल के आस–पास निवासरत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित कार्य प्रारंभ करने की अनुमति हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश में छूट दिया जाना मैं आवश्यक समझती हूँ।

अतः पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक / 567–568 / री.ए.डी.एम. / 2020, दिनांक 29 / 03 / 2020 के तारतम्य में निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु निम्न शर्तो के आधार पर अनुमति प्रदान करते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है:–

अविरत............................2

अ. क्र.	कार्य का नाम	एजेंसी	रिमार्क
1	झोन क्रं. 11 वार्ड क्र. 55 के अंतर्गत सूर्या होटल से मोदी पेट्रोल पंप तक सड़क का सीमेंटी कांक्रीट करना।	मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन, इन्दौर	स्थानीय मजदूरों से कार्य कराया जायेगा।
2	झोन क्र. 11 वार्ड क्र. 55 के अंतर्गत सूर्या होटल से मोदी पेट्रोल पंप तक स्ट्रार्म वाटर लाईन डालना।	मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन, इन्दौर	स्थानीय मजदूरों से कार्य कराया जायेगा।
3	झोन क्र. 11 के अंतर्गत एम.वाय. हास्पिटल परिसर में ड्रेनेज लाईन डालना।	मेसर्स महिमा कंस्ट्रक्शन, इन्दौर	स्थानीय मजदूरों से कार्य कराया जायेगा।
4	झोन क्र. 11 के अंतर्गत एम.वाय.एच. भवन में ड्रेनेज लाईन एवं शौचालय का संधारण कार्य करना।	मेसर्स एल.सी. इन्फ्रा, अहमदाबाद	स्थानीय मजदूरों से कार्य कराया जायेगा।

1. उक्त निर्माण कार्य कंटेनमेन्ट एरिया के बाहर ही करने की अनुमति रहेगी।
2. उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री लाने एवं ले जाने हेतु वाहनों को कंटेनमेन्ट एरिया के बाहर इस्तेमाल कर सकेगी।
3. कार्य के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा।
4. कार्य के दौरान कोरोना से सुरक्षा हेतु हेण्ड ग्लोब्स, मास्क, सेनेटाइजर अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा।
5. उक्त कार्य में संलग्न तकनीकी स्टाफ, सुपरवाइजर, अकाउंटेट एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा पास जारी किये जावेंगे।
6. उक्त कार्य में संलग्न मशीनरी जैसे जे.सी.बी., डम्पर, ट्रक, ट्रेक्टर, पोकलेन, हाईड्रा, क्रेन, एवं अन्य मशीनरी को लाने एवं ले जाने की अनुमति रहेगी। इन वाहनों पर ड्रायवर के अतिरिक्त कर्मचारी/मजदूर को पृथक से जारी पास अनिवार्य होगा।
7. उक्त कार्य हेतु संलग्न वाहनों/कर्मचारी को डीजल/पेट्रोल/ईधन की सुचारू व्यवस्था मुहैया कराने की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री लोणया मुजालदा की रहेगी।
8. उक्त निर्माण एजेंसी वाहन/कर्मचारी/लेबर को प्रदत्त पास जब तक शहर में लॉकडाउन प्रभावशील है तब तक यह पास प्रभावशील रहेंगा।
9. निर्माण कंपनी द्वारा शहर/गॉव जहॉ से भी मजदूरों/कर्मचारियों को लाया जाना है, इस हेतु वाहनों की व्यवस्था स्वयं के व्यय से करना होगी, यात्रा के दौरान वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना एवं शासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशो का पालन करना होगा।

अविरत 3

10. निर्माण कम्पनी द्वारा बाहर से लाये जा रहे मजदूरों/कर्मचारियों के रहने एवं राशन/खानें-पीनें की व्यवस्था करना होगी।
11. निर्माण कंपनी द्वारा बाहर से लाये जा रहे मजदूरों/कर्मचारियों हेतु लेबर केम्प, निर्माण स्थल के समीप बनाया जाना अनिवार्य होगा साथ ही केम्प में ही शौचालय/स्नानाघर निर्माण भी अनिवार्य है।
12. लेबर केम्प का सेनेटाईजेशन प्रतिदिन किये जाने की व्यवस्था करना होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश पूर्ववत लागू रहेगा।

(कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार)

(प्रतिभा पाल)
आयुक्त
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक :- 1051-01066 तक

दिनांक :- 11/06/2020.

प्रतिलिपी :-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर।
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर।
5. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर।
6. कलेक्टर, जिला,इन्दौर।
7. समस्त अतिरिक्त, जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर।
8. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी इन्दौर।
9. जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला इन्दौर।
10. एस.डी.ओ. (पी) नगर पुलिस अधीक्षक (समस्त) .... इन्दौर।
11. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर।
12. थाना प्रभारी थाना .... जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ।
13. उप संचालक, जनसंपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
14. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. कलेक्टोरेट इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, इन्दौर।
16. सर्व संबंधित .... इन्दौर।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, इन्दौर